भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †50

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश

†50. **श्रीमती पूनमबेन माडम:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश में बाधा उत्पन्न करने वाली किन्हीं बाधाओं की पहचान करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): जी, हाँ। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में निम्नलिखित प्रमुख पहलें शामिल हैं:

पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, लागू विनियमों और कानूनों के अध्यधीन, भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। होटल, रिसॉर्ट और मनोरंजन सुविधाओं के विकास सहित पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति है।

इसके अतिरिक्त उद्योग और हितधारकों से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर सरकार ने (i) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटलों, (ii) समन्वित मास्टर सूची में शामिल रोपवे और केबल कारों हेतु पर्यटन अवसंरचना का दर्जा घोषित करके निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त 100,000 वर्ग मीटर के न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र के साथ अनन्य रूप से प्रदर्शनी स्थल अथवा सम्मेलन स्थल अथवा संयुक्त रूप से दोनों प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र परियोजनाओं को भी समन्वित मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) और विदेशी निवेश सुविधा (एफआईएफ) पोर्टलों की स्थापना के माध्यम से व्यापार करने की सुगमता सुनिश्चित कर रही है।

****